

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक-1076 /44/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

3. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	महाराष्ट्र शिक्षा मंडल, जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	महाराष्ट्र इंस्टी. ऑफ हायर एजुकेशन, जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0एल0एल0बी0-प्रथम वर्ष.
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम में गत सत्र में 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हुए/नहीं होने संबंधी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय का प्रमाण-पत्र अप्राप्त है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था द्वारा अग्रणी शासकीय महाविद्यालय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निकटवर्ती कॉलेजों में बी0ए0एल0एल0बी0-प्रथम वर्ष. संचालित नहीं है।

//2//


7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0एल0एल0बी0-प्रथम वर्ष.
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

5. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
५५ उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1077/ /आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

---की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
५५ उच्च शिक्षा, म.प्र.